न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 18/2021 निर्णय दिनांक 09.06.2021

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का छतरगढ (ए) तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर (प्रार्थी)

बनाम

पूनम पुत्र चेतनराम जाति जाट साकिन छतरगढ तहसील छतरगढ जिला बीकानेर (अप्रार्थी)

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

–निर्णय–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का छतरगढ (ए) व भू.अ.निरीक्षक छतरगढ ने रिपोर्ट मय प्रपत्र पी. 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ने चक 2 सी.एच.एम के मु. न. 123/40 में 56.12 X 12 = 673.44 वर्गफीट गैर मुमकिन मण्डी की भूमि पर कृषि सम्वत् 2078 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर 01 पक्की दुकान बनाकर निर्माण कार्य किया जा रहा है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष/जवाब प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली दिनांक 10.05.2021 को पेशी में ली गई, भू.अ.निरीक्षक छतरगढ व पटवारी हल्का छतरगढ (ए) के द्वारा फर्द मौका कुर्की प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाबमय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वह पिछले 35–40 वर्षो से मेरे बाबा पन्नाराम पुत्र सादुलाराम की दुकान है, इस दुकान से दुकानदारी करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा हूँ, नया निर्माण नही करवाया जा रहा है, टूट फूट ठीक करवाई जा रही है एवं अनाधिकृत कब्जा नही किया जा रहा है।

चक 2 सी.एच.एम मु.न. 123/40 राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन मण्डी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन मौके पर ग्राम छतरगढ की सघन आबादी (बाजार, बस स्टैण्ड, आवासीय मकान)बसी हुई है एवं राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा जारी सम्पुष्ट सूची में उक्त मुरब्बा नम्बर ग्राम छतरगढ की आबादी भूमि को आंवटन है।

ग्राम छतरगढ के निवासियो को आवासीय पट्टे दिलवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमान प्रभारी अधिकारी, कलेक्ट्रैट बीकानेर के द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता व श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, छतरगढ को पत्रांक 1016–1017 दिनांक 15.10.2019 के द्वारा उचित प्रस्ताव मय अनुशंषा एवं नक्शे सहित भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी पालना में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, छतरगढ को कार्यालय हाजा के पत्रांक 296 दिनांक 23.03.2020 के द्वारा गैर मुमकिन मण्डी की भूमि पर सघन बसी आबादी भूमि के प्रकरण का निस्तारण हेतु प्रस्ताव भिजवाया गया था।

राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर द्वारा जारी सम्पुष्ट सूची की संख्या 17 पर चक 1 सी.एच.एम में 682.10 बीघा व सम्पुष्ट सूची की क्रम सख्या 04 पर चक 2 सी.एच.एम में 1998.05 बीघा कुल रकबा 2680.15 बीघा भूमि आबादी, छतरगढ आबादी के नाम से आंवटन दर्ज है। राजस्व रिकॉर्डनुसार चक 1 सी.एच.एम में 270.12 बीघा क./अ.क. व चक 2 सी.एच.एम में रकबा 840 बीघा क./अ.क भूमि गैर मुमकिन आबादी के नाम से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इस प्रकार चक 1 सी.एच.एम व 2 सी.एच.एम में कुल रकबा 1110.12 बीघा क./अ.क. भूमि गैर मुमकिन आबादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। आबादी के नाम से आंवटित कुल रकबा 2680.15 बीघा में से 1110.12 बीघा रकबा गैर मुमकिन आबादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है, शेष 1570.03 बीघा क./अ.क. भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन मण्डी के नाम से दर्ज है।

वर्तमान में चक 1 सी.एच.एम में 284 बीघा व चक 2 सी.एच.एम में 409 बीघा कुल 693 बीघा भूमि पर सघन आबादी बसी हुई है। उक्त रकबा राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन मण्डी के नाम से दर्ज है, राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा जारी सम्पुष्ट सूची में छतरगढ आबादी के नाम से आंवटन दर्ज है।

अतः अतिक्रमित भूमि ग्राम छतरगढ की सघन बसी आबादी भूमि से संबधित होने व ग्राम छतरगढ के निवासियो को आवासीय पट्टे दिलवाये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुये प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)

तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक छतरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner